



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937

No. 150]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/ PHALGUNA 17, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2016

**सा.का.नि. 282.(अ)**—केंद्रीय सरकार 1985) 1985, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, का (13की धारा की 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय प्रशासनिक 35 के साथ पठित धारा (2) धारा-और उप (1) धारा-उप 1989, भर्ती नियम (प्रकीर्ण पद 'ग' और 'ख' समूह) अधिकरणकोजहां, तक कि हिंदी अनुवादक के पद से संबंधित हैउन, केंद्रीय, ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया हैबातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये हिन्दी 'ख' और समूह 'क' प्रशासनिक अधिकरण में समूहए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-अर्थात्,

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** ( पदहिन्दी 'ख' और 'क' समूह) नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणइन नियमों का संक्षिप्त (1)- 2016, भर्ती नियमहै।

ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। (2)

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - यह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	01* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ज्येष्ठ अनुवादक, जो वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो</li> <li>2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण</li> <li>3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो</li> </ol> <p style="text-align: center;">- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

**प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है; और

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री ता प्राप्तया किसी मान्य ; एक अनिवार्यविद्यालय से हिन्दीविश्वया वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अथवा ; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री अथवा ; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री अथवा ; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी में शब्दावली (वली विषयक कार्यशब्दा) और अंग्र का प्रयोग करने और लागू करनेेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य

<p>का अधिमानततकनीकी और वैज्ञानिक : या केंद्रीय ; का तीन वर्ष का अनुभवसाहित्य यत्त निकाय सरकार या स्वासरकार या राज्य या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों ता प्राप्तिद्वालयों या मान्यया विश्वत अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3</b> :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4</b> :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, <b>सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,</b> उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ अनुवादक	*06 (2016)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ज्येष्ठ अनुवादक, जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है; और</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री अथवा ; विद्यालय से विश्वता प्राप्त किसी मान्य एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हिन्दी में पर परीक्षा के माध्यम डिग्री स्तर अथवा ; डिग्री अंग्रेजी में मास्टर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री अथवा ; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो — अध्यक्ष</li> <li>2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — सदस्य</li> <li>3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो — सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी में शब्दावली का प्रयोग (वली विषयक कार्यशब्दा) करने और लागू करने और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का अधिमानततकनीकी और : का तीन वर्ष का वैज्ञानिक साहित्य या केंद्रीय सरकार या राज्य ; अनुभव यत्त निकाय या कानूनी सरकार या स्वायत्त संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या ता प्राप्विद्यालयों या मान्यविश्वत अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो। और हिन्दी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम किया हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3 :-</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

<p><b>टिप्पण 4 :-</b> प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, <b>सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,</b> उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कनिष्ठ अनुवादक	13* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए	लागू नहीं होता	तीस वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पणी :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से हिन्दी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिन्दी माध्यम से और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा <b>टिप्पण:</b> पदधारी के एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या अन्य परिस्थितियों पर रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

<p>विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी में से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों या दोनों में एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और हिन्दी में अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम किया हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> – अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> – अनुभव संबंधी अहर्ता (अहर्ताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखते वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्ति</b> :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारियों :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 2800 में छह साल की नियमित सेवा रखते हैं, और</p> <p>(ख) स्तंभ 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1</b> :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2</b> :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3</b> :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो <b>- अध्यक्ष</b></li> <li>2. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण <b>- सदस्य</b></li> <li>3. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो <b>- सदस्य</b></li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>



<p>वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारियों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
---	--	--

[फा. सं. ए-12011/3/2013-ए.टी.]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2016

**G.S.R. 282 (E).**— In exercise of the powers conferred by section 35 read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal (Group 'B' & 'C' Miscellaneous posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Hindi Translator is concerned, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and 'B' Hindi Posts in the Central Administrative Tribunal, namely: -

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'A' and 'B' Hindi Posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**- The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of aforesaid posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director (Official Language).	1* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs.5400/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	One year for promotees.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment promotion or deputation, absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Senior Translator of the Central Administrative Tribunal in pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/- with three years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers from the Central Government or State Government or Union Territories or High Courts:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal-Chairman</li> <li>2. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal- Member</li> <li>3. Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman Central Administrative Tribunal - Member</li> </ol>	Not applicable

appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or

Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level

(ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

**Note 1:** The departmental officer in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly a deputationist in the Central Administrative Tribunal shall not be eligible for consideration for promotion.

**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Translator.	06* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600/-.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
<p><b>By Promotion:</b> Junior Translator in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- in the Central Administrative Tribunal with five years regular service in the grade. <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay of pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> <p><b>By Deputation:</b> Officers from the Central Government or State Government or Union Territories or High Courts,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent parent cadre or department or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member of the Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Chairman</li> <li>2. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal- Member</li> <li>3. Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman Central Administrative Tribunal - Member</li> </ol>	Not applicable.

or  
 Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or  
 Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;  
 or  
 Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or  
 Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and  
 recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government offices.

**Note 1:** The departmental officer in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly a deputationist in the Central Administrative Tribunal shall not be eligible for consideration for promotion.

**Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

**Note 4:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merged of more than one pre-

revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Junior Translator.	13* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4200/- .	Not applicable.	30 years- (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b> Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central Government or State Government offices including Government of India undertaking.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is</p>	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment failing which by deputation  <b>Note 1 :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis

relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p><b>By Deputation:</b></p> <p>Officers from the Central Government or State Government or Union Territories or High Courts,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the pay band-2 with grade pay of Rs. 2800 in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3:</b> For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman- Central Administrative Tribunal- Chairman</li> <li>2. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal- Member</li> <li>3. Registrar, Central Administrative Tribunal, nominated by the Chairman Central Administrative Tribunal - Member</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. A-12011/3/2013-AT]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.